—: कार्यालय :—

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल।

Email –dfo-latehar@gov.in

Mobile No. – 9470305806/8987790240

Pin Code - 829206

पत्रांक..... / दिनांक..... /

सेवा में,

श्री एस. मुरलीधरन,
सहायक महाप्रबंधक,
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0,
ए–360 ममता भवन, रोड नं0–4B अशोकनगर,
रॉची–834002

विषय : मेसर्स पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड का 400 KV/DC एस्सार से लातेहार एवं पतरातु से लातेहार तक ट्रांशमिशन लाईन निर्माण हेतु वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक 1451 / 28.07.2018, पत्रांक 1547 / 10.08.2018, पत्रांक 1863 / 22.09.2018, पत्रांक 1921 / 05.10.2018 एवं पत्रांक 2143 / 20.11.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि मेसर्स पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड का 400 KV/DC एस्सार से लातेहार तक वन भूमि 13.233 हे. जंगल झाडी 59.933 हे. कुल 73.166 हे. भूमि तथा पतरातु से लातेहार तक वन भूमि 36.985 हे0, जंगल झाडी 79.275 हे0 कुल 116.260 हे0 भूमि अपयोजन के प्रस्ताव में अंचल पदाधिकारी / जिला स्तर के राजस्व पदाधिकारी से कैडस्ट्रल सर्वे (C.S) के आधार पर प्रमाणित लैंड शिड्यूल की मांग की गयी थी।

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या 05 / स0भू0 लातेहार (विविध)–181 / 18 (छाया संचिका)–4715 दिनांक 27.11.2018 के बिन्दु तीन के आलोक में कैडस्ट्रल सर्वे (C.S) के आधार पर लैंड शिड्यूल नहीं होने पर उपायुक्त, लातेहार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–1) एवं आपके स्तर से निर्गत वचनबद्धता पत्र (प्रपत्र–2) नौ–नौ प्रतियों में समर्पित करें ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। सुलभ संकेत हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन प्रमण्डल।

ज्ञापांक 2318 / दिनांक 20-12-18 /

प्रतिलिपिः–
01. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर, पलामू को सूचनार्थ समर्पित।
02. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू मेदिनीनगर को सूचनार्थ समर्पित।
03. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ समर्पित।

20.12.18
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन प्रमण्डल।

प्रपत्र–I

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्लॉट संख्या–..... मौजा–..... खाता संख्या–.....अंचल–..... जिला–..... में सन्निहित भूमि का कैडेस्ट्रल सर्वे (CS)/25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (RS) का अभिलेख अथक प्रयासों के पश्चात् भी विभिन्न राजस्व अभिलेखागारों, अंचलाधिकारी कार्यालय, जिला अभिलेखागार, भू–अर्जन कार्यालय, बंदोबस्त कार्यालय, राजकीय मुद्रणालय आदि में उपलब्ध नहीं हो पाया अथवा जीर्ण–शीर्ण/कटे–फटे अवस्था में है तथा अपठनीय है।

अतः 25.10.1980 को वर्णित भूमि का किस्म क्या था यह पता नहीं चल पा रहा है। संबंधित भूमि का अभिलेख वर्ष ..... में प्रकाशित वर्तमान रिवीजनल सर्वे के आधार पर उपलब्ध है, जो निम्नवत् है:–

क्र0सं0	मौजा/गाँव का नाम	थाना/थाना नं0	प्लॉट सं0	रकबा	भूमि की प्रकृति

अतः स्पष्ट है कि वर्ष ..... में प्रकाशित रिवीजनल सर्वे के अनुसार उक्त भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन हेतु वनभूमि की श्रेणी में नहीं आती है।

उपरोक्त संबंध में यह वचनबद्धता दी जाती है कि भविष्य में यदि 25.10.1980 के पूर्व के सर्वे अभिलेखों के आधार पर उक्त भूमि की प्रकृति वन/जंगल–झाड़ी आदि (deemed forest) के रूप में पायी जाती है, तो इसे तत्काल सभी संबंधित कार्यालयों तथा प्रयोक्ता अभिकरण को सूचित किया जाएगा एवं इसके अनुसार संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अंतर्गत परियोजना में सम्मिलित उक्त चिन्हित वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित करने हेतु बाध्य होंगे।

उपायुक्त

.....

4715

27/11/2018

प्रपत्र–II

वचनबद्धता

(प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित)

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अंतर्गत समर्पित वनभूमि अपयोजन परियोजना प्रस्ताव संख्या–.....में सन्निहित Land Schedule में प्लॉट संख्या के संबंध में कैडेस्ट्रल सर्वे (CS)/25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (RS) के अभिलेख उपलब्ध नहीं होने/जीर्ण–शीर्ण/कटे–फटे अवस्था में तथा अपठनीय होने का प्रमाण पत्र उपायुक्त कार्यालय के ज्ञापांक–..... दिनांक–..... के द्वारा निर्गत किया गया है। वर्ष ..... में प्रकाशित रिवीजनल सर्वे में उक्त भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन हेतु वनभूमि की श्रेणी में नहीं आती है। यह वचनबद्धता दी जाती है कि भविष्य में यदि 25.10.1980 के पूर्व के सर्वे अभिलेखों के आधार पर उक्त भूमि की प्रकृति वन/जंगल–झाड़ी आदि (deemed forest) के रूप में पायी जाती है तो उक्त भूमि हेतु अलग से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अंतर्गत वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।

4715
27/11/2018

प्रयोक्ता अभिकरण
(नाम/पदनाम/प्रतिष्ठान)